न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 26/2014

1. संतोष कुमार आयु 55 वर्ष पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर
2. श्रीमती बिमला आयु 57 वर्ष पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर
3. राजेश आयु 15 वर्ष पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर नाबालिग जरिये वालिया कुदरती श्रीमती बिमला पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर

वादी

बनाम

1. मोहनसिंह आयु 60 वर्ष पुत्र मेधसिंह जाति राजपूत निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर
2. जगदेवसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी भूरासर का बास
3. हीरालाल आयु 46 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी भूरासर का बास
4. राजेन्द उर्फ लीलाधर आयु 44 वर्ष लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी भूरासर का बास
5. मु. दाखी देवी आयु 55 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पुर्णाराम जाति जाट निवासी हंसासर
6. मु. मोहनी देवी आयु 48 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी श्योदान जाति जाट निवासी पोसाणा तहसील उदयपुरवाटी
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड

निर्णय

निर्णय दिनांक 01.02.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हमीरी खुर्द पटवार हल्का हमीरी कलां की सरहद में हाल ख0न0 190/287 तादादी 0.71 है0, ख0न0 191 तादादी 0.04 है0, ख0न0 192 तादादी 0.56 है0, ख0न0 193 तादादी 0.02 है0, ख0न0 195 तादादी 0.24 है0, ख0न0 196 तादादी 0.03 है0, ख0न0 197 तादादी 0.82 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.42 है0 भूमि अवस्थित है। जो गत ख0न0 53/2, ख0न0 53/3, ख0न0 58 तादादी 3 बीधा 10, ख0न0 55 तादादी 1 बीधा व ख0न0 56 तादादी 3 बीधा 6 बिश्वा से बना है। जिसमें से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मेधसिंह रहे है। मेधसिंह ने अपने हिस्से की भूमि ख0न0 55 तादादी 1 बिधा, ख0न0 53/2, 53/3 व 58 तादादी 3 बीधा 10 बिश्वा कुल रकबा 4 बीधा 10 बिश्वा वादीगण के पूर्वज मनीराम के हक में बिल एवज 3000/– रूपये में विक्रय कर दिया व इस आशय का विक्रय पत्र दिनांक 25.8.1971 को उपपंजीयक झुझुनू के यहां पंजीकृत करवा दिया था। जिसका नामान्तरकरण भी मनीराम के हक में तस्दीक हो गया था। मनीराम के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार मनीराम के दो लड़के वादी न0 1 तथा वादी न0 2 का पति तथा वादी न0 3 का पिता स्व0 महावीर प्रसाद हुये। इस जमीन में वादी न0 1 का हिस्सा 1/2 तथा शेष 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी न0 2 व 3 के पति व पिता स्व0 महावीर प्रसाद हुये। महावीर प्रासद के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि वादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज हुई। जमाबंदी सम्वत 2043–2046 में वादी न0 1 के पिता मनीराम का 4 बीधा 10 बिश्वा जमीन का खातेदार काश्तकार होने के बावजूद इस जमाबंदी के विशेष विवरण के कॉलम में जरिये इन्तकाल नम्बर 120, 121 बिचौती पत्र दर्ज करते हुये इस जमीन में 1/2 हिस्से की जमीन का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण न0 2 लगायत 6 के पिता लक्ष्मीनारायण को गलत दर्ज कर दिया तथा शेष 1/2 हिस्से की जमीन का खातेदार प्रतिवादी न0 1 के पिता मेधसिंह की वल्दियत गलत दर्ज करते हुये गलत अकंन कर दिया जो काबिले दुरूस्त योग्य है।

अंत में विवादीत आराजी ख0न0 190/287, 191, 192, 193, 195, 196 व 197 कुल किता 7 कुल रकबा 2.42 है0 में वादीगण का 1.10 है0 हिस्से का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के नाम गलत दर्ज रिकार्ड है जिसे दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा के साथ प्रतिदावा पेश कर जमीन ख0न0 120, 121, 152, 153, 198, 199, 204, 205 व 205/321 कुल रकबा 10.85 है0 में से परमेश्वरी पत्नी मनीराम, संतोष कुमार, सुमन पिता मनीराम हिस्सा 3/4 व बिमला पत्नी महावीर, राजेश पिता महावीर हिस्सा 1/4 की खातेदारी हटाकर प्रतिवादी न0 1 मोहन सिंह के नाम दर्ज की किये जाने तथा ख0न0 190/287, 191, 192, 193, 195, 196 व 197 कुल किता 7 कुल रकबा 2.42 है0 में से 1.10 है0 की खातेदार परमेश्वरी पत्नी मनीराम, संतोष कुमार, सुमन पिता मनीराम व बिमला पत्नी महावीर, राजेश पिता महावीर के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 की ओर से जवाब दावा पेश कर वादीगण का वाद प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 के विरूद्व मय खर्चा खारीज फरमाने का निवेदन किया गया।

वादीगण की ओर से जवाब प्रतिदावा पेश कर प्रतिदावा में उल्लेखित वाद पत्र से भिन्न खसरा नम्बरान के शेष सह खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने एवं प्रतिदावा में कॉज ऑफ एक्सन दर्ज नहीं होने से प्रतिदावा पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारीज किये जाने का अनुरोध किया गया।

अंत में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 मोहनसिंह पुत्र मेधसिंह व सुमन पुत्री मनीराम ने आपसी राजीनामा कर न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश कर राजीनामा में दर्ज शर्तो के अनुसार वाद डिक्री फरमाये जाने का अनुरोध किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मोहनसिंह पुत्र मेधसिंह व सुमन पुत्री मनीराम के मध्य हुये राजीनामा एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 की अनापत्ति के आधार पर न्यायहित में लोक अदालत की पवित्र भावना के दृष्टिगत रखते हुये राजीनामा स्वीकार किया जाकर तदनुसार वाद निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व सुमन पुत्री मनीराम के मध्य हुये राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की अनापत्ति के आधार पर राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम हमीरी खुर्द के ख0न0 190/287, 191, 192, 193, 195, 196 व 197 में मोहनसिंह पुत्र मेधसिंह के हिस्से में दर्ज भूमि में से 4 बीधा 10 बिश्वा यानि 1.10 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार मोहनसिंह के स्थान पर मनीराम के वारिसान संतोश कुमार, सुमन पिता मनीराम, बिमला पत्नी महावीर, राजेश पिता महावीर तथा ख0न0 120, 121, 152, 153, 198, 199, 204, 205 व 205/321 मेंसे मनीराम के वारिसान का नाम हजफ कर उनके स्थान पर मोहनसिंह पुत्र मेधसिंह का नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 01/2/22

उपखण्ड अधिकारी

सलसीसर